

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

चाच सं0 : 15 सन 2021

अनवान :-

1. सुर्जनसिंह पुत्र भारतसिंह जाति राजपूत साकिन शेरुबडी हाल जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 05/04/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 55/44 की कुल 22.8900हैक् में से 200 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण दर्जनसिंह दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम सुर्जनसिंह है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी का नाम सुर्जनसिंह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 55/44 की कुल 22.8900हैक् में से 200 हिस्सा भूमि में वादी का नाम दर्जनसिंह के स्थान पर सुर्जनसिंह संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 55/44 की कुल 22.8900हैक् में से 200 हिस्सा भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण दर्जनसिंह दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम सुर्जनसिंह है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी का नाम सुर्जनसिंह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 55/44 की कुल 22.8900हैक् में से 200 हिस्सा भूमि का सायल /प्रार्थी खातेदार काशतकार है जिसमें प्रार्थी का नाम दुर्जनसिंह दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम सुर्जनसिंह है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में वादी का नाम सुर्जनसिंह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 55/44 की कुल 22.8900हैक् में से 200 हिस्सा भूमि में दुर्जनसिंह के स्थान पर सुर्जनसिंह उर्फ दुर्जनसिंह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/04/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )  
नोहर

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 15/2020 अनवानी सुर्जनसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. सुर्जनसिंह पुत्र भारतसिंह जाति राजपूत साकिन शेरुबडी हाल जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 15/2021 अनवानी सुर्जनसिंह बनाम सरकार में दिनांक 05/4/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 55/44 की कुल 22.8900 हैक् में से 200 हिस्सा भूमि में दुर्जनसिंह के स्थान पर सुर्जनसिंह उर्फ दुर्जनसिंह संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )